संख्या-6/2015/431/क.नि.प्र./26-3-2015-8(91)/08

प्रेषक,

दीनानाथ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ,समाज कल्याण विभाग लखनऊ: दिनांक: 21 अप्रैल,2015

विषय:- अनूसचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत मण्डल/जनपद/विकास खण्ड स्तर पर शासकीय अधिष्ठान पर कार्यरत स्टाफ के वेतन, भत्ते आदि की स्वीकृति वर्ष 2015-16

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-/925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च,2015 के प्ररिप्रेक्ष्य में मण्डल/जनपद/ विकास खण्ड स्तर पर शासकीय अधिष्ठान पर कार्यरत स्टाफ के वेतन, भत्ते आदि पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-80 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 159.54 लाख (रू0 एक करोड़ उनसठ लाख चौवन हजार मात्र) को निम्नलिखित मदों में व्यय किए जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

मद	धनराशि (रूपये में)
01- वेतन	63,65,000.00
03-मंहगाई भत्ता	76,38,000.00
04-यात्रा व्यय	80,000.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	80,000.00
06-अन्य भत्ते	6,36,000.00
08-कार्यालय व्यय	1,25,000.00
09-विद्युत देय	2,00,000.00
10-जलकर/जल प्रभार	15,000.00
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1,20,000.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,10,000.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,00,000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50,000.00
42-अन्य व्यय	65,000.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	65,000.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,00,000.00
49-चिकित्सा व्यय	1,00,000.00
51-वर्दी व्यय	5,000.00
योग-	1,59,54,000.00

(रू0 एक करोड़ उनसठ लाख चौवन हजार मात्र)

2- उक्त स्वीकृति पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की संख्या-80-समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-आयोनागत-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-793-अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता-03-मण्डल/जनपद/विकास खण्ड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था" की सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या–2/2015/बी-1-/925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च,2015 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

दीनानाथ
अनु सचिव।

<u>पृ.संख्या-6/2015/431 (1)/क.नि.प्र./26-3-15 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4-वित्त (व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-3, उ.प्र.शासन।
5-सांख्यकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन,लखनऊ।
6-एन.आई.सी. की प्रति।
7-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

दीनानाथ
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in